झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति

चर्चा में क्यों?

झारखंड में जल जीवन मिशन (JJM) **आठ जिलों** में बाधित हो गया है, जिससे हज़ारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- **JJM** के तहत 'हर घर नल जल' योजना, **जिसका** उद्देश्य हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, पिछले दो महीनों से पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा में रुकी हुई है।
- इस निलंबन के पीछे मुख्य कारण **केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न करना है**, जिसके कारण ठेकेदारों को बकाया भुगतान न होने के कारण काम बंद करना पड़ रहा है।
  - झारखंड सरकार ने मिशन की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और इसमें तेज़ी लाने के लिये केंद्र सरकार से **6,324 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुरोध किया है।**
- **वर्ष 2019** में **शुरू किए गए** जल जीवन मिशन **ने** दिसंबर 2024 तक झारखंड में **62,55,717 घरों** में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
  - हालाँकि, अब तक केवल **34,19,100 घरों को ही** कनेक्शन मिले हैं, जो लक्ष्य का केवल **54.66% ही है।**
- यह आँकड़ा **राष्ट्रीय औसत 79.79% से काफी नीचे है,** जिससे लगभग **45%** घरों को स्वच्छ पेयजल **उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।**
- झारखंड सरकार अब केंद्रीय प्राधिकारियों से आग्रह कर रही है कि मिशन को पुनर्जीवित करने के लिये **लंबित धनराशि शीघ्र जारी की जाए।**

जल जीवन मिशन (JJM)

- **शुरुआत:**
  - **वर्ष 2019** में शुरू की गई इस योजना में वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (**FHTC**) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की** आपूर्ति की परिकल्पना की गई है, जिसे बजट 2025-26 में 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
    - यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- **उद्देश्य:**
  - यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और जल कनेक्शनों की कार्यशीलता, जल गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ टिकाऊ कृषि को सुनिश्चित करता है।
  - यह संरक्षित जल का संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोत संवर्धन, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, ग्रे जल उपचार और इसका पुनः उपयोग भी सुनिश्चित करता है।
- **विशेषताएँ:**
  - JJM स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों के लिये स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण, जैसे वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल का **प्रबंधन,** अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
  - यह मिशन जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा इसमें व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार को मिशन के प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- **कार्यान्वयन:**
  - **जल समितियाँ** गाँव की जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं, प्रबंधन करती हैं, संचालन करती हैं और रखरखाव करती हैं।
  - इनमें **10-15 सदस्य होते हैं,** जिनमें **कम से कम 50% महिला सदस्य और स्वयं सहायता समूह, मान्यता प्राप्त सामाजिक और** स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी शिक्षक आदि से अन्य सदस्य होते हैं।
  - समितियाँ गाँव के सभी उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर एक **बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं।** क्रियान्वयन से पहले योजना को ग्रामसभा **में मंजूरी दी जाती है।**
- **वित्तपोषण पैटर्न:**

- केंद्र और राज्यों के बीच नधि बँटवारे का पैटर्न हमिालयी और **पूर्वोत्तर राज्यों** **के लयि 90:10,** अन्य राज्यों के लयि 50:50 तथा केंद्रशासति प्रदेशों के लयि **100% है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/status-of-jal-jeevan-mission-in-jharkhand